

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
परिवहन विभाग  
5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली - 110054

सं. एफ 19(04)/परिवि0/सचि0 शा0/2019/1236 29

दिनांक : 31/12/2021

सेवा में,

उप-सचिव (प्रश्न),  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

बिषय :- दिनांक 03/01/2022 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतांरकित प्रश्न संख्या 12

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न है।

यह माननीय परिवहन मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।



(विकास जैन)

पीसीओ (सचि0)

Pollution Control Officer  
Transport Department  
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम - परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार  
विभाग का पता - 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली - 110054  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 12  
सदस्य का नाम - श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी  
दिनांक - 03.01.2022

क्या माननीय परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि वर्तमान में दिल्ली में चल रही डीटीसी की सभी 3760 बसें ओवरएज हो चुकी हैं;	जी नहीं, पंजीकरण की तिथि से सीएनजी बस की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है और हर वर्ष प्रत्येक बस का फिटनेस प्रमाणपत्र लिया जाता है, वर्तमान में केवल 6 लो फ्लोर बसें ही ओवरएज है जोकि Arbitration केस की वजह से डिपो में खड़ी हैं। शेष 3754 बसें वर्ष 2022 से 2026 की अवधि में 15 वर्ष पूर्ण करेगी।
ख	किसी भी बस के ओवरएज होने के नियम क्या हैं;	पंजीकरण की तिथि से सीएनजी बस की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके पश्चात वह बस ओवरएज होने की वजह से ऑपरेशन से हटा दी जाएगी।
ग	इनमें से कितनी बसें साढ़े सात लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं; और ...	कुल 1692 बसें साढ़े सात लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है।
घ	ओवरएज हो चुकी जो बसें चलाई जा रही हैं, उनकी मेन्टेनेन्स पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है, पूर्ण विवरण दें?	डी.टी.सी. की कोई भी ओवरएज बस नहीं चलाई जा रही है।



(आशीष कुन्द्रा)  
प्रमुख सचिव सह आयुक्त (परिवहन)  
विभागाध्यक्ष  
**ASHISH KUNDRA, IAS**  
Pr. Secretary-Cum-Commissioner (Tpt)  
Transport Department,  
GNCT of Delhi  
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054